

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

क्रमांक: रा.खा.ग्रा.बो. / प्रशिक्षण / 2022-23 / 744-8745

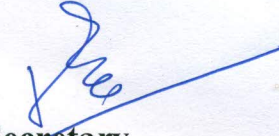
दिनांक:- 15/11/2022

ई-निविदा सूचना क्रमांक 2022-23/07 & 08

Bids for (1) Supply of 8 spindle New Modal Charkha estimated value Rs. 100.00 lacs & (2) Supply of Semi Automatic Paddle Loom with 60" Reed Space/Workable width with Installation estimated value Rs. 180.00 lacs are invited from interested bidders upto 12.30 PM dated 12.12.2022. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state.

UBN : 1. KVI202223GLOB00007

2. KVI202223GLOB00008


Secretary



राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर



(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

गोकुलभाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302017

Ph.No.0141-2705197-200, Fax No.0141-2706510

, Email : khadijpr@rajasthan.gov.in



क्रमांक: /रा.खा.ग्रा.बो. / प्रशिक्षण / 744

दिनांक:- 15-11-2022

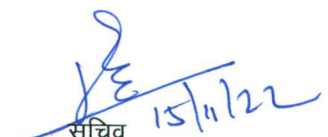
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सचिव राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार की रजिस्टर्ड संस्थाओं/समितियों से 8 Spindle न्यू मॉडल चरखा राजस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों/स्थानों पर आपूर्ति हेतु निम्नांकित विवरण अनुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित अधिकतम सभी कर सहित लागत (रु.)	बिड सिक्योरिटी (रु.)	बिड प्रपत्र शुल्क (रु.)	प्रोसेसिंग शुल्क (रु.)
1.	Supply of 8 spindle New Modal Charkha no. 500 (Five Hundred) at Various locations in Rajasthan	100.00 लाख	2,00,000 / -	1180 / -	1000 / -

ई-बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि व समय	16.11.2022 समय- 5:00 PM
प्री-बिड मीटिंग तिथि, समय व स्थान	25.11.2022 समय- 3:00 PM बोर्ड कार्यालय
ई-बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	12.12.2022 समय- 12:30 PM
बोली प्रपत्र शुल्क, बिड प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक भौतिक रूप से (Physically) बोर्ड कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	12.12.2022 समय- 12:30 PM
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	12.12.2022 समय- 03:00 PM
चरखा आपूर्ति की समय अवधि	आपूर्ति आदेश से 60 दिवस

ई-बिड प्रपत्र वेबसाइट <https://www.SPPP.raj.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है एवं www.eproc.raj.gov.in पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के डी.डी./बैंकर्स चैक, डी.डी. अथवा बैंकर चैक, जो Scretary, Rajasthan Khadi & Village Industries Board, (Payable at Jaipur) के नाम तथा प्रोसेसिंग शुल्क जो Managing Director, RISL, Jaipur (Payable at Jaipur) के नाम देय हो, की स्कैन की हुई प्रति ई-बोली के साथ अपलोड करना एवं दिनांक 12.12.2022 को दोपहर 12:30 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) जमा करना आवश्यक है।


 सचिव
 (राज. खादी तथा ग्रामो. बोर्ड)
 जयपुर।

ई-टेन्डरिंग के लिए बोलीदाताओं हेतु निर्देश :-

1. बिड प्रपत्र वेबसाइट <https://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाताओं द्वारा बिड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन जमा करानी होगी।
2. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इंटरनेट साइट <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीयन (Registration) करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (टाईप II या टाईप III) सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act 2000) के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाताओं को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर सहित नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की सुस्पष्ट स्कैन की हुई प्रतियां बिड प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन संलग्न की जाएंगी।
4. कोई भी बोलीदाता बिड को इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब करता है, तो उसकी जिम्मेदारी सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर की नहीं होगी। अतः बोलीदाता उचित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां प्रस्तुत करें।
5. ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करते समय बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये सचिव, राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
6. टेलीग्राम/ फेक्स/ ई-मेल/भौतिक रूप से प्रस्तुत की गई बिड मान्य नहीं होगी।
7. सशर्त बिड मान्य नहीं होगी। बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों एवं स्पेसिफिकेशन्स से भिन्नता (डेवीएशन) वाली बिड मान्य नहीं होगी।

बिड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. एक निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा/बिड प्रस्तुत करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. बोलीदाता/करारकर्ता को भारत के करार एवं कर सम्बन्धी समस्त कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।
3. प्रस्तुत की जाने वाली दरें तार्किक एवं संतुलित होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त करने का अधिकार सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
4. ऑनलाइन तकनीकी बिड इस कार्यालय में दिनांक 12.12.2022 को मध्याह्न पश्चात् 03:00 बजे खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्यदिवस को उसी समय पर तकनीकी बिड खोली जायेंगी।

(नीलमणी शर्मा)
क. लि. प्रमोद अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रमोद अधिकारी (खादी)
ग्रामोद्योग बोर्ड (प्रहलाद सिंह नरुका)

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

5. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बोली द्वि भाग (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) होगी।
6. बोली दस्तावेजों एवं कार्यविवरण के स्पष्टीकरण हेतु प्री-बिड मिति का आयोजन कार्यालय सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर में दिनांक 25.11.2022 को दोपहर 03.00 बजे सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर मीटिंग हाल में किया जायेगा।
7. निविदादाता अपनी दरें BOQ.XLS प्रपत्र (वित्तीय निविदा) में ही प्रस्तुत करें।
8. वित्तीय निविदा के लिए, निविदादाताओं द्वारा निविदा के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BOQ.XLS फाईल को डाउनलोड करना होगा और उक्त टेम्पलेट में बिना कोई संशोधन किए वांछित Cells में विवरण भरना होगा। अगर निविदादाता द्वारा डाउनलोड की गई फाईल में कोई संशोधन करके या छेड़छाड़ करके उस फाईल को अपलोड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदादाता फर्म को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
9. यदि बिड खोलने की तिथि को किसी तकनीकी कारणवश ऑनलाइन प्राप्त समस्त बिड नहीं खोली जाती हैं, तो अगले कार्य दिवस को शेष बिड खोलने का कार्य अनवरत रखा जायेगा।
10. तकनीकी आकलन में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय की सूचना ऑनलाइन/ई-मेल द्वारा दी जायेगी।
11. दो या अधिक निविदादाता की दरों में बराबरी (Tie in prices) की स्थिति में जिस फर्म के पास तकनीकी निविदा प्रपत्र अनुसार अधिक अनुभव होगा वह फर्म अन्तिम रूप से एल-1 मानी जाएगी।
12. बोलीदाता द्वारा बिड प्रपत्र शुल्क बिड प्रतिभूति एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु मूल डी.डी./ बैंकर चैक भौतिक रूप में (Physically) राजस्थान सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर में दिनांक 12.12.2022 को दोपहर 12.30 बजे तक बन्द लिफाफे में जिस पर "सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लिये Supply of 8 spindle New Modal Charkha at Various Locations in Rajasthan 500 Nos. हेतु निविदा" तथा बोलीदाता का नाम व पता स्पष्ट अंकित किया हुआ हो, जमा करवाना आवश्यक है। जिन बोलीदाताओं द्वारा उक्त दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाये जायेंगे उन्हीं बोलीदाताओं की बिड ऑनलाइन खोली जायेंगी। शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	राशि	भुगतान का प्रकार
1.	बोली प्रपत्र शुल्क	1180/-	डी.डी. अथवा बैंकर चैक, सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (Payable at Jaipur) के नाम
2.	बिड प्रतिभूति	200000/-	डी.डी. अथवा बैंकर चैक सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (Payable at Jaipur) के नाम
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) शुल्क	1000/-	डी.डी. अथवा बैंकर चैक, Managing Director, RISL, Jaipur (Payable at Jaipur) के नाम

13. प्रदत्त दरें बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेंगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है तो उसकी बिड प्रतिभूति जप्त कर ली जायेगी।

14. तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-

15. बोली प्रपत्र शुल्क/बिड प्रतिभूति/ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) शुल्क के बैंकर्स चैक/डी.डी. की स्कैन की हुई प्रति। वित्तीय बिड (BOQ) की प्रति संलग्न नहीं करनी है। वित्तीय बिड को तकनीकी बिड में शामिल करने पर निविदादाता की निविदा बोली निरस्त कर दी जाएगी। दरें केवल वित्तीय बिड (BOQ) में प्रस्तुत करनी हैं जो ऑनलाईन BOQ में भरी जा सकेंगी। दरें केवल भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत की जानी हैं।

- (I) तकनीकी बोली प्रपत्र मय समस्त अनुलग्नक।
- (II) डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त बोली की शर्तें (अपूर्ण भरे हुये टेण्डर-प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं निरस्त कर दिये जायेंगे)।
- (III) आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card) की सुस्पष्ट प्रति।
- (IV) जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (V) निविदादाता खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा न्यू मॉडल चर्खा निर्माण एवं आपूर्ति हेतु इमपैनल्ड होना आवश्यक है।
- (VI) फर्म द्वारा अन्य फर्म को कार्य सब-लेट नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
- (VII) Annexure-A के अनुसार फर्म किसी भी अन्य राज्य में संस्था द्वारा Supply of 8 spindle New Modal charkha के संबंध में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र (राशि रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर)।

16. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार, सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पास सुरक्षित होंगे।

17. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई अन्य त्रुटि पाये जाने बोली को रद्द करने का अधिकार सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को होगा।

18. बिड की शर्तों एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अथवा बोलीप्रपत्र में किसी शर्त या नियम या प्रावधान के अवर्णित पाए जाने की स्थिति में अधिनियम व नियमों में दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे एवं RTTP Rules 2013 के नियम 73 (1) (ख) के अनुसार आपूर्ति की शर्तें लागू होगी।

19. राजस्थान सरकार के सा.वि. एवं लेखा नियम एवं बिड के विषय से सम्बन्धित अन्य समस्त नियम एवं एक्ट भी लागू माने जायेंगे।

20. बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी) :

1. बिड के साथ बिड सूचना के अनुसार बिड प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत की दर से प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि

सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जमा करायी जाये।

- II. बिड प्रतिभूति का प्रतिदाय: असफल बोलीदाताओं की बिड प्रतिभूति बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार कर सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध निष्पादित करने के बाद लौटायी जाएगी।
- III. बिड प्रतिभूति से छूट उन फर्मों को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मर्दों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र य उसकी फोटो स्टेट प्रति, जो विधिवत अनुप्रमाणित हो, प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य की 0.5 (आधा) प्रतिशत की दर पर बिड प्रतिभूति जमा करानी होगी। रूग्ण उद्योगों की दशा में (एस. एस. आई. से भिन्न) जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।
- IV. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बिड प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बिड के साथ बिड प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
21. बोली प्रतिभूति का समपहरण; बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:—
 - I. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत उपान्तरित करता है।
 - II. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
 - III. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।
 - IV. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/कर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
 - V. यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

22. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :

- I. सफल बोलीदाता को दर स्वीकृति की सूचना का पत्र जारी होने की दिनांक से सात दिन या अवधि के भीतर सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के नाम देय डी. डी./बैंकर्स को द्वारा जिन कार्यों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराकर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- II. राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगम, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व का नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा

- कराने से मुक्त होंगे। तथापि, इनको एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- III. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम 1 प्रतिशत और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की रकम का 2 प्रतिशत होगी कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने के लिए इन फर्मों को पंजीयन की विधियत अनुप्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
 - IV. बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
 - V. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - VI. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी।
 - I. ई.जी.आर.ए.एस. (E-govt Receipt Accounting System) के माध्यम से जमा।
 - II. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक।
 - III. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्पबचत प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।
 - IV. किसी अनुसूचित बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधान के लिए पात्र नहीं रह गया है।
 - V. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (FDR)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियम जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को सम्बन्धित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

मुकुंद कुमार खन्ना
प्रनारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड, जयपुर

मानकमार खन्ना

(प्रहलाद सिंह नरुका)

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामो. बोर्ड
जयपुर

- VI. ई.जी.आर.ए.एस. से इतर प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रख-रखाव और दोषदायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदागत बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परे 90 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहनी चाहिए।
- VII. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवेदक के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा। सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि में से संवेदक की कोई बकाया राशि या पैनल्टी बकाया होगी तो भुगतान के समय काट ली जायेगी।
- VIII. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा:

- (1) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (2) जब बोलीदाता सम्पूर्ण माल/सेवा सन्तोषजनक ढंग से प्रदाय करने में असफल रहा हो।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता प्राधिकार/अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

23. करार (Agreement) का निष्पादन :

- I. सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिए जाने के 07 दिवस की भीतर नियमानुसार अवधि के भीतर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल करार निष्पादित करना होगा।
- II. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प शुल्क का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत/छायाप्रति को निःशुल्क दी जायेगी।
- III. यदि बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि (07 दिवस के भीतर में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर सफल बोलीदाता के विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा। सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर ऐसे में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगा या न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली वाले को स्वीकृति प्रस्ताव दे सकेगा।

24. भुगतान (Payment):— सफल निविदादाता/संस्था द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य निष्पादित कर बिल 3 प्रतियों में मय आवश्यक दस्तावेज बोर्ड कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा संबंधित प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण/भौतिक सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार भुगतान जारी किया जायेगा।

(नालमणा शर्मा)
क. लि.
मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (आखिरी)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड, जयपुर
सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामो. बोर्ड
जयपुर

25. जो बोलीदाता तकनीकी बिड में सफल पाये जायेंगे उन्ही बोलीदाताओं की वित्तीय बिड वेबसाइट पर खोली जायेंगी। तकनीकी बिड में सफल/असफल बोलीदाताओं को ऑनलाइन सूचित किया जायेगा।
26. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity) एवं हित का विरोध (Conflict of interest) के सम्बन्ध में RTPP Rules 2013 के नियम 80 व 81 के प्रावधान लागू होंगे।
27. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।
28. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को भेजा जाएगा एवं उस विवाद के लिए सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या प्रदायक द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
29. (i) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।
(ii) प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर राजस्थान तथा द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, एम.एस.एम.ई. हैं।
30. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

सचिव
राज. खादी तथा
ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूंगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम :

(नीलमणी शर्मा)
क. लि.
मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (वित्त)
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर
प्रहलद सिंह नरुका
लेखाधिकारी

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

Supply of 8 spindle New Modal Charkha at Various Locations in Rajasthan बिड
हेतु तकनीकी प्रस्ताव

(बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण)

फर्म का नाम व पता :

ई-मेल

मोबाईल नं

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	बिड के प्रस्तावों में संलग्न पृष्ठ सं
1	निविदादाता का गत 5 वितीय वर्षों में किन्ही 3 वर्ष का टर्नओवर राशि रु. 2.00 करोड होना आवश्यक है। सी.ए. द्वारा विगत 5 वर्षों का ऑडिटेड प्रमाण-पत्र, बेलेंस शीट एवं पी.&एल. खाते की प्रमाणित प्रति। 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 व 2021-22	
2	निविदादाता खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा न्यू मॉडल चर्खा निर्माण एवं आपूर्ति हेतु इमपैनल्ड होना आवश्यक है। (प्रमाण-पत्र संलग्न)	
3	8 spindle New Modal Charkha at Various Locations in Rajasthan Specifications Annexure-A के अनुसार	
4	बिड दस्तावेज की लागत का 1180 रुपये का डीडी डी.डी नम्बर दिनांक	
5	बिड प्रतिभूति का डीडी नं0 का विवरण डी.डी नम्बर दिनांक	
6	प्रोशेसिंग शुल्क Rs- 1000/- मैनेजिंग डायरेक्टर RISL (Payable at Jaipur) डी.डी./बैंकर चैक डी.डी. नम्बर दिनांक	
7	पेन नं	
8	जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र	
9	फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं है का शपथ पत्र Annexure-B	
10	कार्य को सब-लैट नहीं करने का शपथ पत्र। (फर्म के लेटर-हैड पर)	
11	निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्षों में से किन्ही 2 वर्षों में भारत वर्ष के किसी भी राजकीय उपक्रम/खादी संस्था/समितियों में कम से कम 500 चर्खे की प्रतिवर्ष आपूर्ति की हो। अनुभव एवं सफल आपूर्ति के आदेशों की प्रति।	


(नीलमणी शर्मा)
क वि. मुकेश कुमार शर्मा

प्रभारी अधिकारी (प्रारिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर





(प्रहलाद सिंह नरुका)
सहायक अधिकारी


वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

12	निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्षों में से किन्हीं 2 वर्षों में राजस्थान राज्य के किसी भी राजकीय उपक्रम/खादी संस्था/समितियों में कम से कम 150 चरखों की प्रति वर्ष आपूर्ति करने का अनुभव। अनुभव एवं सफल आपूर्ति के आदेशों की प्रति।	
13	2 वर्ष की वारन्टी का शपथ-पत्र स्टाम्प 100/-	
14	तकनीकी बिड खोलने के दिनांक को बोर्ड कार्यालय में नमूना भौतिक रूप से उपलब्ध कराना।	

- फर्म द्वारा किये जाने वाला कार्य Annexure A के अनुसार ही है।
- इस बोली के संबंध में बोली प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त प्रपत्र एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं। मैं/हम ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करूंगा/करेंगे।
- मैं/हम दिवालिया रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूंगा/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूंगा/रखेंगे और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यक्षीन होंगे।
- मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किए गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूंगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप से प्रभावित करे।
- चरखों की आपूर्ति निःशुल्क बोर्ड के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्रों यथा जयपुर, पुष्कर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं माउन्ट आबू पर करने हेतु सहमत हैं।
- चरखों की आपूर्ति से पूर्व स्वीकृत नमूने के अनुरूप एक नमूना संभाग स्तर पर बतौर नमूना रखने पर सहमत हैं।
- मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

बोलीदाता का नाम,
हस्ताक्षर एवं सील


(निलम्बी शर्तों
के लिए)

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी प्रां. बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी/प्रहलाद सिंह नरुका)
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
लेखाधिकारी


वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

Annexure-A

S.No.	General Technical Specifications of 8 Spindle New Model Charkha
1.	I. Spindle with Bolsters as per BIS Standards II. Frame components of 8-spindle New Model Charkhas as per BIS Standards III. Bottom Drafting Rollers for 8-spindle New Model Charkhas as per BIS standards IV. Spinning Rings used in 8-spindle New Model Charkhas as per BIS standards V. The empanelled charkhas manufacturer shall use only first hand. VI. The New Model Charkha should be 8 spindle. VII. Capable of handling Cotton, Poly and woolan count of yarn 30 to 120. VIII. Spinning Capacity of New Model Charkha should be minimum 750-800 grams in 8 hours. IX. Weight of New Model Charkha : 45 kg (+1 kg/-1 kg) X. Body of the New Model Charkha should be made up of Steel and Iron. XI. Mild Steel Body Frame sheet thickness & 12 gauge XII. Spindle RPM-12 in 1 stroke XIII. Run out of Spindle : Not more than 30 micron XIV. Spindle must be self-lubricated XV. Feeder shaft must be made of stainless steel. XVI. Following gears made up of cast iron for normal spinning 30 to 120 count with 12 rpm speed gear teeth (46,76,22,12,21,24,21*56,76,18) or any combination to achieve the same speed and performance XVII. Branded bearing to be used of SKF/NBC/TATA XVIII. Colour of the New Model Charkha –Green/Sky blue to be painted by water proof spray painting method. OTHER FEATURES i) Each New Model Charkha should have a unique serial number prefixed with KVIB-Unique Serial Number” ii) KVIC Empanelment


(नीलेश कुमार शर्मा)
क लि


नरेश कुमार शर्मा
प्रमारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी प्रमो. बोर्ड जयपुर

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग
प्रमारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

(प्रहलाद सिंह नरुका)
लखाधिकारी


वित्त सलाहकार एवं पु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामो. बोर्ड
जयपुर

बोलीदाता का नाम,
हस्ताक्षर एवं सील

वित्तीय बोली प्रपत्र

कार्य का विवरण	संख्या	दरे समस्त करें सहित प्रति नग
Supply of 8 spindle New Modal charkha at Various Locations in Rajasthan	500 नग	दरें BOQ प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें।

५





निशान्त शर्मा
 क. लि. कुंश कुमार शर्मा
 प्रमारी अधिकारी (प्रमारी)
 राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
 जयपुर

राजेश कुमार खन्ना
 प्रमारी अधिकारी (खादी)
 राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
 जयपुर

प्रहलाद सिंह नरुका
 लेखाधिकारी
 वित्त सलाहकार एवं नु. लेखाधिकारी
 राज. खादी तथा ग्रामो. बोर्ड
 जयपुर

बोलीदाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र
(100/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि फर्म को किसी भी अन्य राज्य में किसी संस्था द्वारा Supply of 8 spindle New Modal charkha के संबंध में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा मेरे हमारे द्वारा दी गई सूचना तथ्य, प्रमाण-पत्र या विवरण आदि अनुबंध अवधि के दौरान झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपद्धत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(नीलमणी शर्मा)
क. लिंकेश कुमार शर्मा
प्रमारी अधिकारी (प्रारिमाण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रमारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

(प्रहलाद सिंह नरुका)
लखाधिकारी

बोलीदाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र
(100/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि फर्म द्वारा राजस्थान राज्य एवं अन्य राज्यों में Supply of 8 spindle New Modal charkha के सम्बन्ध में समस्त आपूर्ति आदेशों की प्रतियों लगाई गई है वह सत्य है।

यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा भविष्य में सचिव राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा ऑडिट में अन्यथा पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

14

निलमणी शर्मा
क. लि.
मुखेश कुमार शर्मा
प्रमारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रमारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

प्रहलाद सिंह नरुका
लेखाधिकारी
वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामो. बोर्ड
जयपुर